



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING

नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

फ. संख्या- पीबी-30(21)/2016

दिनांक:- 07.02.2019

कार्यालय आदेश संख्या- 13/2019

नौमनि कार्यालय आदेश संख्या 95/2017 दिनांक 29.09.2017 (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से, नौवहन महानिदेशालय के कार्यकारी अधिकारी पद के लिए, सीसीएस आरपी नियम, 1997 के परिशोधित वेतनमान 7500-250-12000 रु के पुनः नियतन की स्वीकृति के परिणाम स्वरूप सीसीएस आरपी नियम, 2008 के अंतर्गत पीबी-2 में 9300-34800 रु एवं 4800 रु ग्रेड वेतन में एवं सीसीएस आरपी नियम, 2016 के अंतर्गत प्रयोजनीय स्तर 8 पर श्री डी. जी. सावंत, पूर्व कार्यकारी अधिकारी का वेतन दिनांक 06.05.2004 से निम्नानुसार पुनः नियत किया जाता है:

1	कर्मचारी का नाम	श्री डी. जी. सावंत
2	दिनांक 06.05.2004 से कार्यकारी अधिकारी पद पर पदोन्नति, आदेश दिनांक 20.05.2004 के माध्यम से तदर्थ एवं आदेश दिनांक 20.08.2004 के माध्यम से दिनांक 18.08.2004 से नियमित आधार पर	7750 रु.
	सीसीएस आरपी नियम, 1997 के अनुसार 7500-250-12000 रु. के वेतनमान में दिनांक 01.05.2005 से वेतन परिशोधित (वेतनमान 7450-225-11500 रु. में 7900 रु. आहरित वेतन)	8000 रु.
3	सीसीएस आरपी नियम, 2008 के अंतर्गत परिशोधित वेतनमान 9300-34800 रु. एवं जीपी 4800 रु, पीबी-2 में 01.01.2006 से नियत वेतन सीसीएस आरपी नियम, 1997 के अनुसार 8000 रु., दिनांक 01.01.2006 से वेतन, के वेतनमान 7500-250-12000 रु., (वेतनमान 7450-225-11500 रु. में 7900 रु. आहरित वेतन)	14880 + 4800 (परिशोधित जीपी) = कुल परिलब्धियाँ = 19680 रु.
4	600 रु की वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ दिनांक 01.07.2006 को वेतन (कूल परिलब्धियाँ 19680 रु. का 3%) + जीपी 4800 (14880+600=15480 रु.) (आहरित वेतन 15280+4600=19880रु.)	15480 + 4800 (परिशोधित जीपी) = कुल परिलब्धियाँ = 20280 रु.
5	610 रु की वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ दिनांक 01.07.2007 को वेतन (कूल परिलब्धियाँ 20280 रु. का 3%) + जीपी 4800 रु. =16090+4800= 20890 रु. (आहरित वेतन 15880+4600=20480 रु.)	16090 + 4800 (परिशोधित जीपी) = कुल परिलब्धियाँ 20890 रु.
6	630 रु की वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ दिनांक 01.07.2008 को वेतन (कूल परिलब्धियाँ 20890 रु. का 3%) + जीपी 4800 रु. =16720 + 4800 = 21520 रु. (आहरित वेतन 16500+4600=21100 रु)	16720 + 4800 (परिशोधित जीपी) = कुल परिलब्धियाँ 21520 रु.
7	650 रु की वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ दिनांक 01.07.2009 को वेतन (कूल परिलब्धियाँ 21520 रु. का 3%) + जीपी 4800 रु. =17370+4800 = 22170 रु. (आहरित वेतन 17140+4600=21740 रु.)	17370 + 4800 (परिशोधित जीपी) = कुल परिलब्धियाँ 22170 रु.

बीटा बिल्डिंग, 9वीं मंज़िल, आई थिंक टेक्नो कैम्पस, कांजूर गाँव रोड, कांजूरमार्ग (पूर्व) मुंबई- 400042

9th Floor, BETA Building, I-Think Techno Campus, Kanjur Village Road, Kanjurmarg (E), Mumbai-400042

फ़ोन/Tel No.: +91-22-2575 2040/1/2/3 फ़ैक्स/Fax.: +91-22-25752029/35 ई-मेल/Email: dgship-dgs@nic.in वेबसाइट/Website: www.dgshipping.gov.in